न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 268/2020 दायर दिनाँक 05.10.2020

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. जिमनाराम पुत्र किशनाराम उम्र 45 वर्ष जाति मेघवाल निवासी मोडियावट तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज.।	बनाम्	1. किसनाराम पुत्र जोराराम उम्र 65 वर्ष 2. मोहनी पुत्री किशनाराम उम्र 40 वर्ष 3. किरण पुत्री किसनाराम उम्र 38 वर्ष समस्त जाति मेघवाल निवासीगण मोडियावट तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 4. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री हरफुलराव वकील वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 04.10.2021

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि यह है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 एक ही परिवार के सदस्य है, खेत खसरा नम्बर 566 रकबा 03.01 हैक्टे0, खसरा सं0 613 रकबा 0.36 हैक्टे0, खसरा सं0 614 रकबा 0.05 हैक्टे0, खसरा सं0 690 रकबा 1.63 हैक्टे0, खसरा सं0 610 रकबा 0.34 हैक्टे0, खसरा सं0 361 रकबा 0.04 हैक्टे0 ग्राम मोडियावट में वादी व प्रतिवादीगण का 1/4 हिस्सा पर नजरी नक्शा अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है, लेकिन बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड के तहत बंटवारा नही हुआ है। उक्त जायगा मौजा सरहद मोडियावट, पटवार हल्का क्षैत्र फोगड़ी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान में अवस्थित है।

यह है कि वादी अपनी पैत्रिक कब्जा सुदा भूमि में उक्त वर्णित खसरान् में ग्राम मोडियावट भूमि में अपने हिस्से व बंट की भूमि पर कदीम से काश्त करता आ रहा है। लेकिन बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नहीं होने के कारण दिनांक 19.08.2020 को प्रतिवादी सं0 01 ने वादी को एलानियां धमकी दी कि उक्त खसरा सं0 की भूमि का बैचाण किसी भू–माफिया को कर देगें। यदि प्रतिवादी सं0 01 ने वादी के बंट सुदा व कब्जा काश्त की भूमि का बैचाण किसी बाहरी व्यक्ति या भूमाफिया को कर दिया तो वादी को अपार हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति नगदी से सम्भव नही होगी इसलिए वादी को स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है–

यह है कि खेत खसरा नम्बर 566 रकबा 03.01 हैक्टे0, खसरा सं0 613 रकबा 0.36 हैक्टे0, खसरा सं0 614 रकबा 0.05 हैक्टे0 खसरा सं0 690 रकबा 1.63 हैक्टे0, खसरा सं0 610 रकबा 0.34 हैक्टे0, खसरा सं0 361 रकबा 0.04 हैक्टे0 ग्राम मोडियावट में वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 03 प्रत्येक 1/4 का बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाकर इस बाबत राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:37:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी व प्रतिवादी सं0 01, 02, 03 ने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 04 बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। मौजा मोडियावट के खसरा नम्बर 566 रकबा 03.01 हैक्टे0, खसरा सं0 613 रकबा 0.36 हैक्टे0, खसरा सं0 614 रकबा 0.05 हैक्टे0, खसरा सं0 690 रकबा 1.63 हैक्टे0, खसरा सं0 610 रकबा 0.34 हैक्टे0, खसरा सं0 361 रकबा 0.04 हैक्टे0 की कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 03 प्रत्येक 1/4 हिस्सा घोषित किया जाना उचित प्रतित होता है।

प्रकरण में पक्षकारान् को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। वादी, वाद को डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

प्रकरण में किसी पक्षकार ने वाद का खण्डन नहीं किया है। अतः बाद विवचेन, दावा डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद मोडियावट के खसरा नम्बर 566 रकबा 03.01 हैक्टे0, खसरा सं0 613 रकबा 0.36 हैक्टे0, खसरा सं0 614 रकबा 0.05 हैक्टे0, खसरा सं0 690 रकबा 1.63 हैक्टे0, खसरा सं0 610 रकबा 0.34 हैक्टे0, खसरा सं0 361 रकबा 0.04 हैक्टे0 की कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 03 प्रत्येक 1/4 हिस्से में खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **04.10..2021** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:57:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **268/2020** दायर दिनाँक **05.10.2020**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. जिमनाराम पुत्र किशनाराम उम्र 45 वर्ष जाति मेघवाल निवासी मोडियावट तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज.।	**बनाम्**	1. किसनाराम पुत्र जोराराम उम्र 65 वर्ष 2. मोहनी पुत्री किशनाराम उम्र 40 वर्ष 3. किरण पुत्री किसनाराम उम्र 38 वर्ष समस्त जाति मेघवाल निवासीगण मोडियावट तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 4. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती एवं रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक **04.10.2021**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हरफुलराव वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद मोडियावट के खसरा नम्बर 566 रकबा 03.01 हैक्टे0, खसरा सं0 613 रकबा 0.36 हैक्टे0, खसरा सं0 614 रकबा 0.05 हैक्टे0, खसरा सं0 690 रकबा 1.63 हैक्टे0, खसरा सं0 610 रकबा 0.34 हैक्टे0, खसरा सं0 361 रकबा 0.04 हैक्टे0 की कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 03, प्रत्येक 1/4 हिस्से में खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **04.10.2021** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:57:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner